न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :- अरूण कुमार जैन (RAS)

प्रार्थना पत्र संख्या :- 274/2008

1. शंकरलाल पुत्र भोगा माली निवासी पुर
2. सीताराम पुत्र भोगा माली निवासी पुर
3. नन्दु पत्नि स्व.श्री भोगा माली निवासी पुर
4. ~~[illegible]~~ चान्दी पुत्री भोगा माली निवासी पुर
5. प्यारा पिता हजारी माली निवासी पुर
6. देवीलाल पुत्र धन्ना माली निवासी पुर

प्रार्थीगण

बनाम

1. प्रभुलाल पुत्र गिरधारी माली निवासी पुर
2. मूलचन्द पुत्र गिरधारी माली निवासी पुर
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तहसील भीलवाड़ा

अप्रार्थीगण

उपस्थित :-

1. श्री श्याम लाल आगाल : प्रार्थी आदि.
2. श्री भैरू लाल बाफना : अप्रार्थी आदि.
3. पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 15/4/25

पत्रावली वास्ते प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा - 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निर्णय/बहस हेतु पेश हुई। प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम लाल आगाल द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा - 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में दिनांक 24/7/2008 को पेश किया गया। प्रार्थना पत्र बाद जांच क्रम सं. 274/2008 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलबी हेतु सम्मन नोटिस जारी किये गये।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत

— लगातार —

15/4/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

274/2008 शंकर बनाम प्रभु

15/5/25 धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पेश प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की ग्राम पुर पटवार हल्का पुर तहसील भीलवाड़ा में मालिक आराजी नं. 3890 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा भूमि खातेदारी भूमि थी जिसके भू-प्रबंध बंदोबस्त के उपरान्त हाल आराजी नं. 6236 रकबा 5 बीघा भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज किया गया। भू-प्रबंध बंदोबस्त के दौरान जरीब परिवर्तन होने से प्रति बीघा 3 बिस्वा भूमि कम होकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि 6 बीघा 15 बिस्वा के स्थान पर 5 बीघा 15 बिस्वा दर्ज की जानी चाहिये थी जबकि भू-प्रबन्ध बन्दोबस्त के दौरान प्रार्थीगण की भूमि हाल आराजी नं. 6236 रकबा 5 बीघा ही दर्ज किया गया। इस प्रकार प्रार्थीगण की 15 बिस्वा भूमि कम दर्ज की गई। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर चारों ओर डोहर लगे होकर प्रार्थीगण का कब्जा उनके पिता के जीवनकाल से निर्विवादित रूप से चला आ रहा है। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की खातेदारी भूमि हाल आराजी नं. 6237 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा तथा आराजी नं. 6234 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा दर्ज रिकॉर्ड है। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की खातेदारी भूमि हाल खसरा नं. 6234 व 6237 मालिक आराजी नं. 3892 रकबा 5 बीघा से दर्ज हुये हैं। भू-प्रबन्ध बन्दोबस्त के दौरान जरीब परिवर्तन होने से 3 बिस्वा प्रति बीघा की दर से भूमि कम होकर अप्रार्थी सं. 1 व 2 की खातेदारी भूमि 4 बीघा 5 बिस्वा दर्ज होनी चाहिये थी जिसे भू-प्रबन्ध बन्दोबस्त द्वारा 4 बीघा 10 बिस्वा दर्ज कर दिया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी सं. 1 व 2 के नाम 5 बिस्वा अधिक दर्ज की गई है जिसे कम किया जाकर प्रार्थीगण के नाम दर्ज किया जाना चाहिये। अप्रार्थी सं. 3 की आराजी नं. 6238 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा दर्ज रेकार्ड है, जिसमें प्रार्थीगण की 10 बिस्वा भूमि सम्मिलित कर दी गई है। अप्रार्थी सं. 3 की आराजी नं. 6238 का रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा से कम किया जाकर 2 बीघा 5 बिस्वा दर्ज किया जाना चाहिये। प्रार्थीगण द्वारा प्रथमदृष्टया मामला एवं सुविधा सन्तुलन का प्रार्थीगण के पक्ष में होने से अप्रार्थी सं. 1 लगा. 3 को वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द

—लगातार—

15/5/25 (2)

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

13/5/25 पाबन्द करवाया जाना आवश्यक है अन्यथा प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार व कब्जे की भूमि पर अप्रार्थीगण बलपूर्वक कब्जा कर लेंगे तथा प्रार्थीगण द्वारा लगाये गये बोल्डर व बाड़ हटा देंगे, इससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किया जाना सम्भव नहीं होगा, अत: अप्रार्थी सं. 1 लगा. 3 को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री भैरुलाल जालना द्वारा दिनांक 19/6/2009 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थीगण द्वारा हाल आराजी न. 6236 की कितनी भूमि क्रय की गई है, उसकी किस्मात स्पष्ट नहीं की गई है। साथ ही आराजी न. 6237 का कोई रकबा प्रार्थीगण की भूमि का शामिल नहीं किया गया है। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा काउण्टर स्थगन प्रार्थना पत्र पेश करते हुये निवेदन किया कि ग्राम पुर की साबिक आराजी न. 3890 व 3891 श्री सोभागसिंह पिता पदमसिंह महाजन निवासी पुर के नाम दर्ज थी। वर्तमान आराजी न. 6235 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि साबिक आराजी न. 3891 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा से बनी है। गत बंदोबस्त में उपयोग में ली गई जरीब के परिवर्तन होने से 3 बिस्वा प्रति बीघा की दर से भूमि कम होने पर हाल आराजी न. 6235 का रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा दर्ज होना चाहिये था, इस प्रकार हाल आराजी न. 6235 में 10 बिस्वा अधिक भूमि दर्ज की गई है। हाल आराजी न. 6235 ऊंकार पिता खेमा माली के नाम दर्ज है, नक्शा देख से यह स्पष्ट होता है कि आराजी न. 6236 का कुछ रकबा आ.न. 6235 में सम्मिलित कर दिया गया है। अत: प्रार्थी को आराजी न. 6235 के खातेदार के विरुद्ध इन्द्राज दुरुस्ती का दावा पेश किया जाना चाहिये था। साथ ही प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी की खातेदारी भूमि आराजी न. 6237 की 5 बिस्वा भूमि पर अनाधिकृत कब्जा किया हुआ है। इसकी पुष्टि पटवारी प्रकरण सं. 106/07 में भू-अभिलेख निरीक्षक पुर द्वारा दिनांक 13/6/2008 की मौका पर्चा रिपोर्ट में स्पष्ट साफ रूप से हो रही है प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में किये गये कब्जे को लिखाते भू-अभिलेख निरीक्षक की मौका पर्चा रिपोर्ट में लाल स्याही से दर्शायी गई है। मौका पर्चा रिपोर्ट के आधार पर माननीय न्यायालय में प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी न. 6237 में से कब्जा हटाने के लिये वाद पत्र सं. 131/08 पेश किया हुआ है। अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र

— लगातार —

(3)

13/5/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

खारिज किया जावे व अप्रार्थीगण के विरुद्ध जारी एकपक्षीय
अंतरिम स्थगन आदेश खारिज किया जावे। साथ ही प्रार्थीगण
को अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में कब्जा की गई भूमि को
खाली कराने हेतु पाबंद फरमाया जावे तथा अप्रार्थीगण की
कब्जाकाश्त भूमि में दखलंदाजी नहीं करने हेतु पाबंद फरमाया
जावे।

प्रार्थीगण की ओर काउण्टरक्लेम का जवाब दिनांक
20/7/2009 को पेश हुआ। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी सं. 1 व 2 की
ओर से पेश काउण्टरक्लेम को खारिज करने एवं प्रार्थीगण
की 5 बिस्वा भूमि पर प्रार्थीगण की खातेदारी गलत तरीके से
भू-प्रबंध विभाग द्वारा समाप्त कर अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज
कर दी गई है। अतः अप्रार्थी सं. 1 व 2 की 5 बिस्वा भूमि खातेदारी
समाप्त की जाकर प्रार्थीगण के हक में दर्ज की जावे।

प्रकरण में उभयपक्षकारान अधिवक्तागण की
[illegible] पेशकार-सरकार की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता
द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यों का इआदा करते हुए
निवेदन किया कि हाल आराजी नं. 6237 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा
भूमि में से 5 बिस्वा भूमि की हद तक मूल वाद के निस्तारण तक
अस्थाई निषेधाज्ञा को प्रार्थीगण के पक्ष में जारी किया जावे।
अप्रार्थी सं. 1 व 2 के अधिवक्ता द्वारा उनकी खातेदारी आराजी
नं. 6237 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा भूमि में से 5 बिस्वा भूमि
की हद तक अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण
तक जारी रखने हेतु सहमति व्यक्त की गई, साथ ही अप्रार्थी
अधिवक्ता द्वारा इस हेतु पत्रावली आदेश 10/6/2007 में तैयार
मौका पर्चा दिनांक 13/6/2008 में भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा
तैयार नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शित क्षेत्र की हद तक
आदेश जारी करने की सहमति व्यक्त की गई। मौका पर्चा की प्रति पेश
की।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में हाल
आराजी नं. 6238 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा में से 10 बिस्वा भूमि
के विरुद्ध मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने
का निवेदन किया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि
प्रार्थीगण की 10 बिस्वा भूमि को अप्रार्थी सं. 3 की आराजी नं.
6238 में मिला दिया गया है, जिसे कम किया जाकर प्रार्थीगण
की खातेदारी में दर्ज किया जावे। इस हेतु मूलवाद के निस्तारण

— लगातार —

(4)

15/4/2025
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी रखने का आदेश दिया जावे।

अप्रार्थी सं. 3 की ओर से पैरोकार वकील द्वारा बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में हाल आराजी न. 6238 के साबिक न. का उल्लेख नहीं किया है, साथ ही साबिक आराजी न. 3888 के मिलान क्षेत्रफल की नकल प्रस्तुत नहीं की गई है, प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र से यह साबित नहीं कर पा रहा है कि साबिक आराजी न. 3888 में कौन-कौन से हाल आराजी न. बने तथा साबिक आराजी न. 3888 का क्षेत्रफल नहीं प्रस्तुत करने से यह स्पष्ट नहीं होता है कि ~~किस~~ हाल आराजी न. 6238 का कोई क्षेत्रफल बना है या नहीं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी सं. 3 खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा रिबटल बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की कुल 15 बिस्वा भूमि कम हुई है जिसकी पूर्ति किया जाना आवश्यक है, प्रार्थी की 10 बिस्वा भूमि अप्रार्थी सं. 3 के नाम दर्ज होने से मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी रखने का आदेश पारित किया जावे तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षकारान अधिवक्तागण की बहस का मनन एवं चिंतन किया गया। पत्रावली के अवलोकन एवं बहस के मनन एवं चिंतन उपरान्त प्रथमदृष्टया यह उचित प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण हाल आराजी न. 6238 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि साबिक आराजी न. 3888 के मुकाबले 10 बिस्वा अधिक दर्ज होने को साबित करने में असफल रहा है साथ ही अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर प्रार्थीगण के पक्ष में पत्थरगढी प्रकरण सं. 106/2007 मौका पर्चा दिनांक 13/6/2008 में ग्राम पुर की हाल आराजी न. 6237 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा भूमि में से भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा लाल स्याही से प्रदर्शित 5 बिस्वा भूमि (0.0632 है. भूमि) की हद तक मूलवाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा को जारी रखने का आदेश जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

— लगातार -(5)

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

274/2008 शंकर बनाम प्रभुलाल

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 व 2 को ग्राम पुर की वादग्रस्त आराजी नं- 6237 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा भूमि में से 5 बिस्वा (0.0632 हैं.) भूमि की हद तक मूल वाद के निस्तारण तक भूमि की खुर्द-बुर्द करने, अन्तरण नहीं करने तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करने एवं राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाता है। पत्थरगढ़ी आदेश ~~[illegible]~~ 106/2007 में तैयार मौका पर्चा दिनांक 13/6/2008 में भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा लाल स्याही से दर्शित भूमि की हद तक पालना हेतु तहसीलदार भीलवाड़ा को तहरीर जारी हो। अप्रार्थी सं. 3 के विरुद्ध प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र, प्रार्थीगण साबित करने में असफल रहने से, खारिज किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

15/4/2025

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा